| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 09.02.24 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के समन डाक द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं इसलिए तामील पत्रावली है। विपक्षीगण को मौके दिलाये गये लगातार मौके दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी के पत्रावली पर बहस सुनी गयी आदेश अलग से लिखकर जारी खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जाये। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली विधिवत [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 162/2023

**प्रार्थीगण :–**

1. रतनाराम पुत्र लिछमणा
   जाति जाट निवासी हेमनगर तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण :–**

1. निम्बाराम पुत्र पोकरा
2. अणदा पुत्र पोकरा
3. सोना पुत्र उदा
4. हिरा पुत्र उदा
5. दीपा पुत्र मेराराम
6. वीरो पत्नी मेहराराम
7. पेमाराम पुत्र लिछमणाराम
8. पन्नी पत्नी लिखमाराम
9. धीराराम पुत्र राजूराम
10. वगताराम पुत्र लिछमणाराम
11. गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम
12. दमाराम पुत्र उदाराम
13. सुरताराम पुत्र जैसाराम
14. भीखाराम पुत्रजैसाराम
15. अचलारा पुत्र जैसाराम
16. सोनीदेवी पत्नी नेनाराम
17. ठाकराराम पुत्र नेनाराम
18. लालाराम पुत्र नेनाराम
19. लाभूराम पुत्र नेनाराम
20. हुकमाराम पुत्र नेनाराम
    जाति जाट निवासी हेमनगर तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**–:: आदेश ::–**

दिनांक :– 09.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र मालपुरा के राजस्व ग्राम हेमनगर के खेत खसरा नम्बर 149/2, 150/5 रकबा कमशः 5.4956, 9.8986 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील नौखडा पटवार क्षेत्र मालपुरा के राजस्व ग्राम हेमनगर के खेत खसरा नम्बर 149/2, 150/5 रकबा क्रमशः 5.4956, 9.8986 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गोलिया जैतमाल को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 9/2/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

( रामजी भाई कलबी )
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी